



क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
EMPLOYEES' STATE INSURANCE
CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment,
Govt. of India)



सत्यमेव जयते

कर्मचारी राज्य बीमा निगम हॉस्पिटल,
प्लॉट नं अये -3012, ज.आ.डी.सी,
500 क्वार्टर नजुक, अंकलेश्वर, जिल्हो- भरुच
क.रा.बी. निगम अस्पताल, प्लॉट सं. H-3012, 500
क्वार्टर्स के पास, अंकलेश्वर, जिला-भरुच

ESIC Hospital, Plot No. H-3012, Near 500
Quarters, GIDC, Ankleshwar, Dist. Bharuch
Email: ms-ankleshwar.gj@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

File No.375/13/12/ESICH/ANK/2018-PR

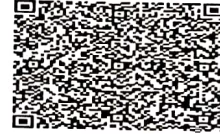
दिनांक: 24.01.2022

परिपत्र

कोविड -19 महामारी के कारण ESIC मुख्यालय के निर्देशानुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, अंकलेश्वर में <https://esanjeevaniopd.in/> पर ऑनलाइन परामर्श सेवाएं (Online Tele-Consultation Services) शुरू किया गया है।

ऑनलाइन टेली-परामर्श के लिए आवश्यक निर्देश निम्नलिखित हैं-

<https://esanjeevaniopd.in/> वेबसाइट से आप पंजीकरण करवा सकते हैं या आप निम्न दिए गए QR Scan से एप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं।



1 patient registration (मरीज का पंजीकरण)

1 patient login (मरीज लॉगिन)

➤ अधिक जानकारी हेतु आप यू-ट्यूब चैनल पर जाकर इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं-
<http://youtu.be/Tq4LB0oCrt0>

क्रम सं.	ओपीडी अनुभाग का नाम	समय
1	सामान्य मेडिसिन	सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे
2	चर्म रोग विशेषज्ञ	सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे
3	सर्जरी	दोपहर 2 बजे से दोपहर 4 बजे
4	शिशु रोग विशेषज्ञ	दोपहर 2 बजे से दोपहर 4 बजे
5	चेस्ट फिजीशियन	दोपहर 2 बजे से दोपहर 4 बजे
6	फिजीशियन	दोपहर 3 बजे से दोपहर 4 बजे

कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, अंकलेश्वर में कार्यरत सभी अधिकारी/कर्मचारियों से अनुरोध है इस बारे आईपी को अधिक से अधिक जानकारी साझा कर जागरूकता बढ़ाएं।

उक्त परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया गया है।

संजय कुमार
उपनिदेशक (जन संपर्क)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

- चिकित्सा अधीक्षक, क रा बी निगम अस्पताल, अंकलेश्वर
- उपनिदेशक/शाखा प्रभारी (प्रशासन शाखा/एसएसटी/चिकित्सा/सामान्य/सीआरआई/मेडिकल स्टोर/वित्त/ कोविड -19 नोडल अधिकारी)
- सहायक नर्सिंग अधीक्षक एवं समस्त कर्मचारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- नोटिस बोर्ड।